न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया(आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या वाद पत्र - 15/2020

अनवान

1. नैनी वाई पत्नि स्व. श्री पेमा वंजारा आयु 70 वर्ष निवासी थमलाव तहसील रावतभाटा
2. कमला वाई पुत्री स्व. श्री पेमा बंजारा आयु 45 वर्ष निवासी थमलाव तहसील रावतभाटा
3. किशनलाल पुत्र स्व. श्री पेमा वंजारा आयु 42 वर्ष निवासी थमलाव तहसील रावतभाटा
4. श्यामलाल पुत्र स्व. श्री पेमा बंजारा आयु 40 वर्ष निवासी थमलाव तहसील रावतभाटा
5. अमरलाल पुत्र स्व. श्री पेमा वंजारा आयु 36 वर्ष निवासी थमलाव तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

वादीगण....

वनाम

श्रीमान जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहव रावतभाटा।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - 1. श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक वादी।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 06.08.2024

वाद-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 209 आर.टी.ए. के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र दिनांक 03.11.2020 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मौजा थमलाव प0ह0 वाडौलिया हाल प0ह0 झालरबावडी तहसील रावतभाटा में दिनांक 24.04.1985 को क्रमांक 1451 से रकवा 1.08 है0 गैर खातेदारी से आवंटन किया गया था, आवंटन के समय से लगातार अंग मेहनत व रूपया खर्च कर काविल काश्त बनाया था। ग्राम थमलाव की जमावंदी संवत 2051-54 की खाता संख्या 80 खसरा संख्या 80/13 रकवा 1.08है0 पडत द्वितिय लगानी 3.75 रूपये पेमा पिता भेरा बंजारा को गैर खातेदारी से अधिकार प्राप्त हुए थे, जो दिनांक 15.05.1998 को इन्तकाल संख्या 186 से वादीगण के पिता व पति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। वर्ष 2004 में वादीगण संख्या 01 के पति व 02 से 05 के पिता पेमा पुत्र भेरा बंजारा की दिनांक 11.05.2004 को निधन हो गया था, तव से हम उक्त आराजी पर काजिब होकर काश्त कर रहे है। वर्ष 2003 में सहायक भू प्रबंध अधिकारी भीलवाडा द्वारा हमारे पिता को दिनांक 16.09.2003 का जारी नोटिस दिनांक 13.10.2003 का थमलाव केम्प में उपस्थित होने का दिया था तथा कब्जा सावित की साक्ष्य देनी थी, हमारे पिता बीमार थे,उन्हें ब्लड कैंसर था जिसके कारण वह केम्प में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिससे नाराज होकर सेटलमेंट अधिकारियों ने हमारे खातेदारी अधिकार की आराजीयात का खाता विलोपित कर दिया तथा मिसल बंदोबस्त में आराजी पर खातेदार का कब्जा नहीं होना तथा राजस्व तरमीम प्राप्त नहीं का कारण बताया गया, जवकि आंवटन के समय से आज दिनांक तक हमारा परिवार उक्त खातेदारी की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। ग्राम थमलाव की खसरा गिरदावरी सम्वत 2051-54 से भी प्रमाणित होता है कि हमारे पिता पेमा पुत्र भैरा बंजारा द्वारा खरीफ की फसल उडद, मक्का बोई गई है तथा जमावंदी सम्वत 2051-54 की खाता [illegible] खसरा 80/13 रकबा 1.08है0 पेमा पिता भेरा बंजारा के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जवकि सम्वत [illegible] से 58 की जमाबंदी चौसाला बनाते समय जमावंदी में खाता संख्या 80 [illegible] खसरा संख्या 80/13 के बजाये भूलवश 18/13 रकबा 1.08है0 पेमा पिता भेरा बंजारा [illegible] त्रुटिवश अंकित कर दिया गया है जिसके कारण भी हमारा खाता गलत खसरा संख्या होने व जांच करने पर उक्त खसरा संख्या नहीं मिलने से विलोपित किया गया है। सेटलमेन्ट से पूर्व हमारी आराजीयात की खाता संख्या 80 खसरा संख्या 80/13 रकबा 1.08है0 किस्म पडत द्वितिय थी, जो सेटलमेंट पश्चात 80/13

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

विलोपित किये जाकर 80 मी. नम्बर से नए नम्बर 310 रकबा 2.15हे0 बने हुए है, जो वर्तमान मे बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है, जिसमें हम वादीगण का रकबा 1.08हे0 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अन्त में ग्राम थमलाव प0ह0 बाडौलिया हाल प0ह0 झालरबावडी की बिलानाम सरकार आराजीयात संख्या 310 रकबा 2.15हे0 मे से 1.08हे0 करे वादीगण के नाम खाते दर्ज रिकार्ड किये जाने की डिक्री पारित की जाए तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे में भी अंकन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने वाद पत्र मे दिनांक 06.04.2022 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी को पुरानी आराजी संख्या 80/13 रकबा 1.08है0 आवंटन होना अंकित है जबकि वादी आराजी संख्या 80 मी0 के नये नम्बर 310 मे भूमि चाहता है जो नियमानुसार नहीं है वाद खारीज करने योग्य बताया है। मौका जांच रिपोर्ट प0ह0 बाडौलिया के अनुसार वादी द्वारा ग्राम थमलाव के गत भू-प्रबन्धक के खाता संख्या 80 आराजी संख्या 80/13 रकबा 1.08हे0 भूमि पेमा पिता भैरा बंजारा के नाम दर्ज रिकार्ड है पर नवीन भू-प्रबन्ध अनुसार पेमा की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस ग्राम थमलाव की आराजी संख्या 310 रकबा 2.15हे0 किस्म बिलानाम दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि मे से 1. 08है0 भूमि पर कब्जा काश्त करने का निवेदन किया है।

हमने वादपत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित ग्राम मौजा थमलाव की जमाबंदी सम्वत 2051-54 की खाता संख्या 80 खसरा संख्या 80/13 रकबा 1.08है0 पडत द्वितिय लगानी 3.75 रूपये पेमा पिता भैरा बंजारा को गैर खातेदारी से अधिकार प्राप्त हुए थे, जो दिनांक 15.05.1998 को इन्तकाल संख्या 186 से वादीगण के पिता व पति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। जमाबंदी सम्वत 2051-54 की खाता संख्या 80 खसरा संख्या 80/13 रकबा 1.08है0 पेमा पिता भैरा बंजारा के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जबकि सम्वत 2055 से 58 की जमाबंदी चौसाला बनाते समय जमाबंदी में खाता संख्या 80 नयी 46 बतायी जाकर खसरा संख्या 80/13 के बजाये भूलवश 18/13 रकबा 1.08है0 पेमा पिता भैरा बंजारा खातेदार त्रृटिवश अंकित कर दिया गया है, जिसके कारण भी हमारा खाता गलत खसरा संख्या होने व जांच करने पर उक्त खसरा संख्या में कब्जा नहीं मिलने से विलोपित किया गया है। सेटलमेन्ट से पूर्व हमारी आराजीयात की खात संख्या 80 खसरा संख्या 80/13 रकवा 1.08है0 किस्म पडत द्वितिय थी, जो सेटलमेंट पश्चात 80/13 विलोपित किये जाकर 80 मी. नम्बर से नए नम्बर 310 रकवा 2.15हे0 वने हुए है, जो वर्तमान मे बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है, जिसमें हम वादीगण का रकवा 1.08है0 पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अंत में वादी ने निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी संख्य 310 रकवा 2.15है0 मे से 1.08 है0 भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रकरण में कायम वाद बिन्दू उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

➢ तनकी नं. 1 <u>आया वादी जमाबंदी 2051-54 थमलाव में वादीगण के पिता पेमा पिता भेरा बंजारा के नाम आराजी संख्या 80/13 दर्ज रिकार्ड थी, जो सम्वत 2055-58 में भूलवश 18/13 दर्ज कर गयी</u> उक्त तनकी को सावित कराने का भार वादीगण पर था वादी का कथन है कि साबिक आराजी संख्या 80/13 रकवा 1.08 हे0 भूमि वादीगण संख्या 01 के पति व वादीगण संख्या 2 से [illegible] जमाबंदी संवत् 2051-54 में वादीगण संख्या 01 के पति व वादीगण संख्या [illegible] पिता के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी एवं भूमि का [illegible] 5 के पिता को सुपुर्द किया गया जि[illegible] होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित [illegible] निरन्तर काबिज होने से उक्त आराजीयात की खातेदारी की घोषणा कराने के अधि[illegible] है। कथन की पुष्टि में वादीगण ने दिनांक 29.11.2022 को शपथ पत्र प्रस्तुत किये। [illegible] ने नामान्तरण संख्या 142 प्रस्तुत की जिसमें वादीगण संख्या 01 के पति व वादीगण संख्या 2 से 5 के पिता के नाम आराजी संख्या 80/13 गैर खातेदार के रूप में भूमि आवंटित की गई जो प्रदर्श-1 है। वादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

नामान्तरण संख्या 186 पेश किया जिसमें आराजी संख्या 80/13 को गैर खातेदारी से खातेदारी हक से दर्ज करने के आदेश हुए जो प्रदर्श-2 है। आवंटन का नक्शा पेश किया जो प्रदर्श-3 है। मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-4 जमाबंदी सम्वत 2051-54 प्रस्तुत की जो किया जो प्रदर्श-5 है। जमाबंदी सम्वत 2051-54 की खसरा गिरधावरी पेश की जो प्रदर्श-6 है। अवधी बंदोबस्त प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श-7 है। तनकी नं. 1 वादी के हक में निर्णित की जाती है।

- तनकी नं. 2 **आया वादीगण आराजी संख्या 310 मे से रकबा 1.08है0 के खातेदार घोषित किये जाने का हकदार है** उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल (भू प्रबन्ध विभाग भीलवाडा मिसल बंदोबस्त अवधि सम्वत 2061 से 2081 तक मिलान क्षैत्रफल) पेश किया जिसमें आराजी संख्या 310 पुराने आराजी संख्या 80मी. से बना हुआ है। तनकी नं. 2 वादी के हक में निर्णित की जाती है।
- तनकी नं. 3 **आया वादीगण खसरा संख्या 310 पर एडवर्स पजेशन है तथा आराजी पर काबिज है आवंटन के आराजी संख्या गत नम्बर 80 वर्तमान 310 पर लगातार काबिज है**उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा पटवारी द्वारा समय समय पर धारा 91 के नोटिस की रशीदों को प्रति प्रस्तुत की। तनकी नं. 3 वादी के हक में निर्णित की जाती है।
- तनकी नं. 4 **आया वादीगण को आराजी संख्या 310 का खातेदार घोषित किया जाना कानूनन सही नहीं है वाद खारीज योग्य है** प्रतिवादी पेरोकार सरकार का कथन है कि वादी को आंवटित आराजी संख्या 80/13 थी जबकि वर्तमान में वादी नवीन खसरा संख्या 310 पर काबिज है जो कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी संख्या 80मी. से वने है। तनकी नं. 4 को प्रतिवादी पेरोकार सरकार साबित कराने में विफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने जिम्मे के वाद बिन्दू संख्या 1 से 3 को साबित करा पाने मे सफल रहने से वादीगण ग्राम थमलाव की आराजी संख्या 310 रकबा 1.08 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

अनुतोष

अत: वादीगण का वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। ग्राम थमलाव प0ह0 बाडौलिया हाल प0ह0 झालरबावडी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ की आराजी संख्या 310 रकबा 2.15 है0 मे से 1.08 है0 भूमि को वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावें।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)
सत्यमेव जयते

(महेश गगोरिया)R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner